दस रुपये TEN RUPEES INDIA

(251)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

1866- II/12

प्रकरण क्रमांक /२०१२ पुनरीक्षण

कन्दू पुत्र मुंगा काछी,
निवासी ग्राम चन्द्रनगर तैहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म०प्र०) --- आवेदक

वनाम

काशीप्रसाद पुत्र स्व० लक्ष्मन रजक,
निवासी ग्राम चन्द्रनगर, तैहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म०प्र० --- अनावेदक

द्वारा आज दि. 27-6-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक ११-६-१२ पारित द्वारा तैहसीलदार, राजनगर वउनवान काशीप्रसाद वनाम कन्दू, प्रकरण क्रमांक ३६/अ-१२/११-१२ ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ४५७/२ रकवा ०-२०२ है० के सीमांकन हेतु अनावेदक काशीप्रसाद द्वारा तैहसील राजनगर प्रभारी मण्डलचन्द्रनगर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण क्रमांक ३६/अ-१२/११-१२ पर वउनवान काशीप्रसाद वनाम कन्दू पर दर्ज किया, राजस्व निरीक्षक चन्द्रनगर को सीमांकन हेतु निर्देश दिए वक्त सीमांकन आवेदक कन्दू की ओर से आपत्ति की उसी आशय की आपत्ति आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज गुप्ता द्वारा तैहसील न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन की कार्यवाही पर आपत्ति प्रस्तुत की, आपत्ति का आधार गोपनीय तरीके से सीमांकन एवं आवेदक की भूमि को अनावेदक के हित में नापी जाने के संबंध में था,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1866-दो/2012 जिला छतरपुर कन्दू विरूद्ध काशीप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 12/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	